न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या– 06/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
विकास अधिकारी पंचायत समिति आबूरोड़		1. सरपंच ग्राम पंचायत, सांतपुर। 2. श्रीमती कमला पत्नि श्री रामलाल बारोट के मृत्युपरांत उत्तराधिकारी 2.1 श्रीमती रतन पत्नि श्री जितेश हाल निवासी कलोल अहमदाबाद गुजरात।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. श्री नटवरलाल जीनगर सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 13.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आमथला द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त प्रस्ताव राजस्थान पंचायती राज नियम 156 की पालना किए बिना जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्तागण ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब एंव दस्तावेज प्रस्तुत किया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को मुख्यमंत्री रोजगार योजना अन्तर्गत कियोस्क आवंटन पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में वर्ष 2002–03 में यह कियोस्क आवंटन नियमों के विरूद्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया है। यह है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर है न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की गई है। यह है कि आवंटन हेतु जो नक्शा बनाया जाता है उसे भी सरपंच द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एंव पंचायत सीमा से परे जाकर प्रार्थी की योग्यता एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना ही नियम विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

यह है कि आंवटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आंवटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आवंटी द्वारा म्याद बाहर राशि जमा करवाई जो तत्समय प्रचलित बाजार दर 240/– प्रति वर्गफीट थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा 200/– के आधार पर राशि प्राप्त कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पति राजकीय सेवा में अध्यापक थे एवं अप्रार्थी संख्या दो तत्समय पेंशनधारक थी, जो कियोस्क आवंटन हेतु अपात्र थी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता है।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न लगे दस्तावेजों से यह पाया जाता है कि अप्रार्थी संख्या दो को ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा कियोस्क भूमि आवंटन प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को पारित किया गया। यह है कि पंचायतीराज विभाग के पत्रांक/एफ4(1)/पि.सी./मु.योजना/2001/892 दिनांक 25.06.2002 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश में कियोस्क आवंटन राजस्थान पंचायतीराज नियम 156 के अन्तर्गत जारी किया जाने का प्रावधान है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि कियोस्क आवंटन पत्रावली में प्राप्त प्रार्थना पत्र के साथ राशन कार्ड की प्रति जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, मतदाता परिचय पत्र से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह है कि आवंटन प्रार्थना पत्र के संलग्न होने वाले दस्तावेज प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 06 से 10 के अनुसार प्रस्तुत नहीं किए गए है एवं न ही प्रार्थना पत्र पर सरपंच के हस्ताक्षर है, न ही सचिव द्वारा प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की टिप्पणी की गई है। यह है कि आवंटन हेतु जो नक्शा तैयार किया गया है, उस पर सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे उक्त नक्शे को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145(3) की पालना नहीं किया जाना प्रतीत होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी संख्या एक द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेखित पात्रता एवं पंचायत से परे जाकर प्रार्थना पत्र एवं पात्रता सम्बन्धी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना नियम विरूद्ध प्रस्ताव पारित किया गया है। यह है कि आंवटित कियोस्क भूमि का बाजार दर रूपए की 25 प्रतिशत राशि अर्थात 50.00 रूपए लेकर पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया एवं राशि जमा कराने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई एवं उक्त निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने पर आंवटन निरस्त हो जाने का निर्णय पारित किया गया लेकिन आवंटी द्वारा म्याद बाहर राशि जमा करवाई जो तत्समय प्रचलित बाजार दर रूपए 240/– प्रति वर्गफीट थी लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा रूपए 200/– के आधार पर राशि प्राप्त कर पंचायत को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो के पति राजकीय सेवा में अध्यापक थे एवं अप्रार्थी संख्या दो तत्समय पेंशनधारक थी, जो विभागीय मार्गदर्शिका अनुसार वह शिक्षित बेरोजगार की श्रेणी में नहीं थी। अतः अप्रार्थी संख्या दो कियोस्क आवंटन हेतु अपात्र थी। अतः उपरोक्त अनि[illegible] एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सांतपुर द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में पारित प्रस्ताव संख्या 06 दिनांक 26.12.2002 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:48:21 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner